

राज्य पोषित पाठ्यक्रम का विकास शुल्क स्वयं विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा निर्धारित किया जावेगा।

राज्य से अनुदानित अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में स्व-वित्त पोषित आधार पर संचालित पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त राज्य पोषित पाठ्यक्रमों में प्रवेशित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिला वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए कुल शुल्क की 50 प्रतिशत देय होगी तथा उपरोक्तानुसार निर्धारित कौशनमनी जमा करानी होगी।

आज्ञा से,

(विपिन चन्द्र शर्मा)

प्रमुख शासन सचिव, त0शि0

एवं पदेन सदस्य सचिव

राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति

प्रतिलिपि निम्नानंकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, तकनीकी शिक्षा।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा।
3. रजिस्ट्रार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर/मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर/जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर/महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर/महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर/राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा।
4. प्राचार्य, अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर/बीकानेर/भरतपुर/झालावाड/एम.एल.वी. इंजीनियरिंग कॉलेज भीलवाड़ा।
5. डीन एम.बी.एम. इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर/कॉलेज फॉर टेक्नोलोजी एण्ड एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग उदयपुर।
6. समन्वयक RPET, RMCAAT, RMAT-2011 को देते हुये लेख है कि उनसे संबंधित तकनीकी शिक्षण संस्थानों को इस आदेश की प्रति रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित करें।
7. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, जोधपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

विशेषाधिकारी, त0शि0

Order & Regulation
Revised Fee Structure 2011-12